

अनुलग्नक - 1

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2009/पौष 22, 1930

No. 68]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2009/PAUSA 22, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2009

का.आ. 120(अ).—जैव-विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 61 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2708 (अ) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :—

उपर्युक्त अधिसूचना में :—

तालिका में क्रम सं. 3, क्रम सं. 4 और उनके कॉलम सं. 2 और 3 में की गई अनुरूपी-प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, नामतः :—

क्रम सं.	जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61 (क) के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
4.	वन अधिकारी जो रेंज ऑफिसर के रैंक से कम न हों	उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में

[फा. सं. 28-14/2008-सीएस-III (एन बी ए)]

ए. के. गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना दिनांक 17 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2708(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2009

S.O. 120(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 61 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government hereby make the following further amendments in the Notification No.S.O. 2708 (E), dated 17th November, 2008 namely :—

In the said Notification :—

In the TABLE, after Sl.No. 3, Sl.No. 4 and the corresponding entries in column No. 2 & 3 thereof, shall be inserted, namely :—

Sl.No.	Officer authorised to file complaints under Section 61 (a) of the Biological Diversity Act, 2002	Area of jurisdiction
(1)	(2)	(3)
4.	Forest Officers not below the rank of Range Officers	In their respective jurisdictions

[F. No. 28-14/2008-CS-III (NBA)]

A. K. GOYAL, Jt. Secy.

Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* Notification No. S.O. 2708 (E), dated 17th November, 2008.